मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्र सी–6–3/2010/3/एक भोपाल, दिनांक 15 फरवरी, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

**विषयः–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत द्वितीय अपील एवं पुनर्विलोकन।**

**संदर्भः सा0प्रशा0 विभाग का परिपत्र क्र. सी–6–12–1999–3–एक, दिनांक 20.01.2000**

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 20–1–2000 को निरस्त करते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत की गई अपील एवं पुनर्विलोकन के संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है–

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में अपील से संबंधित नियम 26,27 एवं 28 में एक से अधिक अपील का प्रावधान नहीं है अतः द्वितीय अपील नहीं की जा सकती है।

2/ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 29(2) के अनुसार पुनर्विलोकन के लिये कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि–

**(एक)**–अपील के लिये अवधि काल समाप्त न हो जाये; या

**(दो)**– जहां ऐसी अपील प्रस्तुत कर दी हो वहां उसका निपटारा न हो जाये।

अब यह स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय सेवक द्वारा निर्धारित समयावधि में अपील न किये जाने पर पुर्नविलोकन हेतु आवेदन दिया जा सकता है और यदि अपील का निराकरण किया जा चुका हो तो अपील आदेश का भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम–29 के प्रावधानों के तहत पुनर्विलोकन किया जा सकता है।

15/2/2010
**(अकीला हशमत)**
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग